न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/33/2017	05–10–2017	05–12–2019

01– मुकेश पुत्र रामकिशन माता धन्नी जाति मीना निवासी ग्राम तिगरिया तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट

बनाम

01– मु. कमला पुत्री रामकिशन माता धन्नी पत्नी कैलाश जाति मीना निवासी ग्राम तिगरिया हाल निवासी ग्राम अचलपुरी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

02– मु. मिश्री पुत्री रामकिशन माता धन्नी पत्नी रवि जाति मीना निवासी ग्राम तिगरिया हाल निवासी बगड़ राजपूत तह0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार भनौखर इंतकाल संख्या 273 दिनांक 05.06.2014

उपस्थितः–

01. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल –वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार भनौखर के आदेश दिनांक 05.06.2014 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 273 वाके ग्राम रींगसपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि धनपाल पुत्र चींटा जाति मीना निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर की खातेदारी आराजी है। धनपाल का दि0 20.05.1999 को निधन हो गया। मृतक धनपाल के कोई पुत्र–पुत्री या स्त्री मौजूद नहीं है। मृतक के वारिस माता धन्नी थी। जिन्होंने मृतक धनपाल की आराजी विरासत में प्राप्त की। धन्नी का स्वर्गवास दि0 13.11.2011 को हो गया। जिसके कानूनी वारिस केवल अपीलांट है। मृतक धनपाल की विरासत का इंतकाल नायब तहसीलदार भनौखर ने अपीलांट को बिना सुने दि0 05.06.2014 को जनसुनवाई कैम्प में तस्दीक कर दिया। कानूनगो द्वारा मिलान किये जाने पर यह नोट अंकित किया गया कि वक्त निर्णय जांच व संतुष्टी वारिसान् अपेक्षित है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गयी। पटवारी हल्का द्वारा विवादित इंतकाल दि0 28.02.2014 को भरा गया। जिसका मिलान कानूनगो द्वारा दि0 04.03.2014 को किया गया। ऐसी स्थिति में इंतकाल तस्दीक व निर्णय करने हेतु ग्राम पंचायत को पेश किया जाना चाहिए था। परन्तु पटवारी हल्का ने ग्राम पंचायत के समक्ष पेश न कर सीधे ही दि0 05.06.2014 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। पक्षकारान् जाति से मीना है जो अनुसूचित जनजाति की परिधि में आते है। जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। जिससे महिलाओं को विरासत में विवादित आराजी प्राप्त नहीं हो–

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

सकती है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। रेस्पो0 शादीशुदा है जो अपनी–अपनी ससुराल में रहती है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा किसी भी प्रकार से नहीं है। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी दि0 30.07.2017 को हुई। जिसकी नकल प्राप्त कर बिना देरी के अपील पेश की गयी। देरी को कन्डोन करने के लिए प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दि0 05.06.2014 इंतकाल सं0 273 वाके ग्राम रींगसपुरा तह0 कठूमर निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के नाम दर्ज व तस्दीक करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न नकल इंतकाल का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त इंतकाल पटवारी द्वारा दि0 28.02.2014 को दर्ज कर कानूनगो द्वारा दि0 04.03.2014 को मिलान कर इंतकाल पर अंकित किया गया कि वक्त निर्णय जांच व संतुष्टी वारिसान् अपेक्षित है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक इंतकाल किसी प्रकार की जांच नहीं की गयी है और इंतकाल तस्दीक कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वारिसान् व मौके की जांच कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05–12–2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

05/12/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)